भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 130

उत्तर देने की तारीख 21 जुलाई, 2025

सोमवार, 30 आषाढ़, 1947 (शक)

गाजियाबाद और गुजरात में पीएमकेवीवाई के तहत नामांकन

130. श्री अतुल गर्ग :
श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल :

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तर प्रदेश, विशेषकर गाजियाबाद और गुजरात में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत वर्तमान में कितने कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र कार्यरत हैं और पहुँच एवं दक्षता के संदर्भ में अन्य राज्यों की तुलना में ये कर्मचारी किस प्रकार कार्य कर रहे हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त राज्यों में पीएमकेवीवाई के अंतर्गत नामांकनों की कुल संख्या कितनी है और सफलतापूर्वक अपना पाठ्यक्रम पूरा करने वाले प्रशिक्षुओं का प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या सरकार के पास उक्त राज्यों के अंतर्गत पीएमकेवीवाई स्नातकों के लिए रोजगार और नौकरी के अवसरों का रिकॉर्ड है और यदि हाँ ,तो योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षित उम्मीदवारों को प्राप्त रोजगार के अवसरों से संबंधित आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;

(घ) कौशल प्रशिक्षण और वास्तविक रोजगारपरकता के बीच के अंतर को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रशिक्षित युवा अपने-अपने क्षेत्रों में लाभकारी रोजगार प्राप्त कर सकें;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त राज्यों में पीएमकेवीवाई की प्रभावशीलता निर्धारित करने के लिए इसके प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त योजना की सफलता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) 2015 से अपनी प्रमुख योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) को क्रियान्वित कर रहा है। पीएमकेवीवाई के तहत, देश भर के युवाओं को अल्पावधिक प्रशिक्षण (एसटीटी) और पूर्व अधिगम मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से पुनः कौशलीकरण और कौशल- उन्नयन द्वारा कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

वर्तमान में, पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 68 और गुजरात में 7 कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र कार्य कर रहे हैं। हालाँकि, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में इस समय कोई भी केंद्र कार्य नहीं कर रहा है।

यद्यपि गुजरात और उत्तर प्रदेश ने पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्रों और नामांकनों के संदर्भ में सशक्त आउटरीच दर्शाई है, फिर भी योजना के कार्यान्वयन को लचीला बनाया गया है, जिससे प्रत्येक राज्य स्थानीय आवश्यकताओं, उद्योग की माँग और जनसांख्यिकीय कारकों के आधार पर अपनी रणनीति तैयार कर सकता है। इसलिए, राज्यों के बीच सीधी तुलना योजना के उद्देश्य या प्रभाव को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर सकती है। गुजरात और उत्तर प्रदेश, दोनों ही राज्यों ने पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत सर्वोत्तम कार्यनिष्पादन किया हैं।

(ख) पीएमकेवीवाई के तहत गुजरात और उत्तर प्रदेश में पिछले तीन वर्षों (वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25) के दौरान नामांकन की कुल संख्या और अपना पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने वाले प्रशिक्षुओं का प्रतिशत नीचे दिया गया है:-

राज्य	**नामांकित**	**प्रशिक्षित**	**प्रमाणित**	**प्रतिशत**
गुजरात	79,780	66,214	42,706	53.53%
उत्तर प्रदेश	6,68,062	5,60,706	3,77,380	56.49%

(ग) पीएमकेवीवाई योजना के अंतर्गत, योजना के पहले तीन संस्करणों, यानी पीएमकेवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0, जिन्हें वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2021-

22 तक लागू किया गया था, में अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) घटक के अंतर्गत प्लेसमेंट पर नज़र रखी गई। पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत, हमारे प्रशिक्षित उम्मीदवारों को अपने विविध करियर पथ चुनने के लिए सशक्त बनाने और उन्हें इसके लिए उपयुक्त रूप से उन्मुख करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

गुजरात और उत्तर प्रदेश में पीएमकेवीवाई (1.0, 2.0 और 3.0) के अंतर्गत नियोजित उम्मीदवारों की संख्या नीचे दी गई है:-

राज्य	पीएमकेवीवाई 1.0	पीएमकेवीवाई 2.0	पीएमकेवीवाई 3.0	कुल
गुजरात	3,152	65,373	764	69,289
उत्तर प्रदेश	24,403	3,11,015	3,464	3,38,882

(घ) पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत, युवाओं की रोज़गार क्षमता बढ़ाकर उन्हें सशक्त बनाने पर ज़ोर दिया जा रहा है। इसके लिए बेहतर व्यावहारिक अनुभव के लिए ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी), पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में अनिवार्य रोज़गार क्षमता मॉड्यूल प्रशिक्षण, नए युग के कौशलीकरण पर ध्यान, उम्मीदवारों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रमाणन के बाद ट्रैकिंग और स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) पर स्व-गति से सीखने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त, पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप बनाना, प्लेसमेंट से जुड़े प्रशिक्षण को बढ़ावा देना, रोज़गार मेलों का आयोजन करना और नियोक्ता के द्वारा पहलों को प्रोत्साहित करना जैसे सुधार यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रशिक्षित युवा स्थायी रोज़गार के लिए कौशल से सुसज्जित हों।

(ड.) नीति आयोग द्वारा अक्टूबर 2020 में उत्तर प्रदेश और गुजरात सहित कई राज्यों में एमएसडीई की प्रमुख योजना पीएमकेवीवाई का मूल्यांकन किया गया था। अध्ययन के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल लगभग 94 प्रतिशत नियोक्ताओं ने बताया कि वे पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की और अधिक नियुक्ति करेंगे। इसके अलावा, पूर्णकालिक/अंशकालिक रोजगार में रखे गए और आरपीएल घटक के तहत अभिविन्यास उन्मुखी 52 प्रतिशत उम्मीदवारों को अधिक वेतन मिला या उन्हें यह महसूस हुआ कि उन्हें अपने अप्रमाणित सहकर्मियों की तुलना में अधिक वेतन मिलेगा।

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान(आईआईपीए) द्वारा पीएमकेवीवाई का एक तृतीय-पक्ष प्रभाव मूल्यांकन भी किया गया। इस मूल्यांकन के अनुसार, सर्वेक्षण किए गए लगभग 70.5% उम्मीदवारों को उनके इच्छित कौशल क्षेत्र में नियुक्ति मिली।

(च) सरकार देश भर में पीएमकेवीवाई 4.0 की सफलता को बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रही है। इन प्रयासों का उद्देश्य कौशल की कमी को दूर करना, रोज़गार क्षमता में सुधार लाना और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना है। इनमें से कुछ कदम इस प्रकार हैं:

i. उद्योग 4.0, वेब 3.0, एआर/वीआर, जलवायु परिवर्तन, सर्कुलर इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी और ऊर्जा ट्रांजिशन जैसे नए युग के कौशल पर ध्यान केंद्रित करना।
ii. मूल्यांकन में नवाचारों, बेहतर निगरानी के माध्यम से पूर्व अधिगम शिक्षण मान्यता (आरपीएल) के अंतर्गत पुनः कौशलीकरण और कौशलोन्नयन पर जोर।
iii. अभ्यर्थियों को बेहतर व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने के लिए ऑन-जॉब-ट्रेनिंग(ओजेटी) पर अधिक निर्भरता।
iv. उद्योग के साथ साझेदारी में पाठ्यक्रम शुरू करके पाठ्यक्रम में लचीलापन।
v. शैक्षिक संस्थानों जैसे आईटीआई/स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय/केन्द्रीय एवं राज्य सरकार की संस्थाओं आदि के पास उपलब्ध बुनियादी ढांचे का पारस्परिक उपयोग।
vi. सेमीकंडक्टर, 5जी, एआई, ग्रीन हाइड्रोजन, ईवी, सौर मिशन, केयर, पर्यटन जैसे क्षेत्रों में क्लस्टरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और नीति घोषणाओं के अनुरूप प्रशिक्षण।

मंत्रालय ने कौशल विकास के लिए एक व्यापक और सुलभ मंच, स्किल इंडिया डिजिटल (एसआईडी) प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है, जिसमें असंगठित क्षेत्र को शामिल करते हुए घरेलू कामगार क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में देश के युवाओं को उद्योग-प्रासंगिक कौशल पाठ्यक्रम, नौकरी के अवसर और उद्यमशीलता सहायता प्रदान की जाती है।

*****